

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENT. & LUXURY TAX,
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F.1/Ex/PQ/2021-22/2500

Dated: 30.12.2021

To,
The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: Reply with respect to Un-starred Question No.172 raised by Sh. Ajay Dutt.

Sir,

Please refer to your letter No.F11(B-1) VI/2020-25/VSS/PB/280 dated 25.12.2021 on the subject cited above. I am to enclose herewith reply of the above mentioned question.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl: As above.


ASSISTANT COMMISSIONER (PQ)

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम : आबकारी, मनोरंजन, विलासिता विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विभाग का पता : एल एंड एन ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 172


दिनांक : 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय दत्त

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या अम्बेडकर नगर विधान सभा में खोली गयी शराब की नयी दुकान नंबर 19/553डीडीए प्लेट मदनगीर और विराट सिनेमा मदनगीर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नोटीफाई प्रापटी है;	आवेदनकर्ता द्वारा दिए गए दरतावेज के अनुसार दुकान नंबर 19/553 डीडीए प्लेट मदनगीर अधिसूचित वाणिज्यिक सड़क सेंट्रल मार्केट रोड मदनगीर (स्वीट पैलेस मदनगीर से शिवानन्द विद्यालय) पर है तथा लाइसेंस द्वारा दायर दरतावेजों के अनुसार मकान मालिक ने इस दुकान के ग्राउंड तथा फर्ट प्लोर का दिल्ली नगर निगम को कन्वरजन चार्ज जमा कर रखा है और शॉप नंबर 4, 5, 6 विराट सिनेमा मदनगीर डीडीए लीज दिनांक 23.03.1978 के अनुसार एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बनी हुई है।
(ख) इन दुकानों का साइज क्या है और मंदिर इन दुकानों से कितनी दूर है, पूरा ब्यौर दिया जाए;	(1) दुकान नंबर 19/553 डीडीए प्लेट मदनगीर-756 रक्वायर फीट (2) शॉप नंबर 4, 5, 6 विराट सिनेमा मदनगीर-1171 रक्वायर फीट दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 51(1) के अंतर्गत इन दोनों दुकानों के सौ गीटर के दायरे में कोई भी मंदिर नहीं पाया गया (जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट या इससे ज्यादा हो) तथा न ही कोई प्रमुख शिक्षण संस्थान (सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान पाया गया
(ग) क्या इन दुकानों को खोलने से पहले एक्साइज विभाग ने सभी सरकारी मापदंडों को ध्यान में रखा है;	एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22, दिल्ली एक्साइज एक्ट - 2009 एवं दिल्ली एक्साइज नियम 2010 को पालन किया है तथा लाइसेंस देने से पूर्व इन दोनों जगह का एक्साइज टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और उनकी रिपोर्ट का संज्ञान करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया गया है।
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें;	उपरोक्तानुसार
(ङ) क्या रिटेलमेंट और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में शराब की रिटेल दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, पूर्ण विवरण दें;	आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार किसी भी मॉल, अधिसूचित वाणिज्यिक सड़कों/गलियों, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकान खोलने का प्रावधान है। नोंन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।
(च) यदि हाँ, तो दुकान खोलने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल अनिवार्य है, पूर्ण ब्यौरा दें; और	500 वर्ग फीट
(छ) अम्बेडकर नगर विधान सभा में आबकारी विभाग द्वारा कितनी शराब की दुकानों को रिटेल लाइसेंस दिए गए हैं, पूर्ण विवरण दें?	अम्बेडकर नगर विधानसभा में 5 दुकानें खोली गई हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है- 79-5-03 80-5-02

हस्ताक्षर

()
आहुक्त (आबकारी)

ARAVA GOPI KRISHNA
IAS
Commissioner Excise
Entt. & Luxury Tax
Govt. of NCT of Delhi
Vikas Bhawan, New Delhi-2